



राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश का तकनीकी विश्वविद्यालय)

एयर पोर्ट, बायपास रोड, गाँधी-नगर भोपाल – 462033
दूरभाष क्रमांक (0755)-2734913, 2678899 फैक्स (0755)-2742006

क्रमांक एफ-3/प्रशासनिक/रागांप्रौवि/2014/

भोपाल, दिनांक / / 14

अधिसूचना

म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश सी 3-11/12/1 दिनांक 03/11/2012 के परिपालन में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14.08.2014 में लिये गये निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय सेवा भरती नियम 2007 की कण्डिका 8 (1) में संलग्न परिशिष्ट – 1 अनुसार संशोधन प्रतिस्थापित किया जाता है।

माननीय कुलपति महो. द्वारा अनुमोदित,

कुलसचिव

राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
भोपाल

क्रमांक एफ-3/प्रशासनिक/रागांप्रौवि/2014/

भोपाल, दिनांक / / 14

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, राजभवन सचिवालय, भोपाल।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
03. माननीय कुलपति जी के स्टाफ आफिसर/माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
04. कुलसचिव जी के निज सचिव, की सूचनार्थ।
05. संचालक, यूआईटी, राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
06. वित्त नियंत्रक/लेखा शाखा, राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
07. उपकुलसचिव प्रशा./अकादमी, राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल।
08. सचिव, डिप्लोमा विंग, गौतम नगर कार्यालय, राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।

कुलसचिव

राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
भोपाल

विश्वविद्यालय सेवा भरती नियम 2007

कण्डिका 8 (1)

सीधी भरती से नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा की गणना निम्नानुसार होगी:-

1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2.	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	40 वर्ष
3.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग)	45 वर्ष
4.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग – शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6.	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष
7.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग)	45 वर्ष

सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

कुलसचिव
राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
भोपाल